

शुंजी देवी बनाम सुलाकचन १३०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

प्रकरण संख्या

37 / 2022

३०५६

विशेष विवरण

क. संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

6/11/25

पद्मवती पेशा हुई। वहील उक्तपक्ष उपर। वहील उक्तपक्ष द्वारा जापस कल्याई निवेदाशा पर बहस की गयी। वहील उक्तपक्ष द्वारा मूल वाड के निवारण जापस की कन्फर्म किड जाड का निवेदन किना। वहील उक्तपक्ष की बहस पर मनन किना गना। पद्मवती का कवलेन किना गना। मूल वाड के निवारण एक जापस कल्याई निवेदाशा की कन्फर्म किना जाना उचित समझते हैं।

उक्त उक्तपक्ष की इलन्नामालय के कौडेका डिग्रेड 12/5/2022 के द्वारा गयी कल्याई निवेदाशा से मूल वाड के निवारण एक पावन्द किना जाकर जापस कल्याई निवेदाशा कन्फर्म। स्वामी किना जाता है। पद्मवती प्रेमल कुमार ठेकर मूल वाड के एकमिता रहे।

उप खण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)